न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1647–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–1–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 10/94–95/निगरानी.

महेन्द्र सिंह पुत्र गणेशराम सिंहा
निवासी ग्राम महेल मोहल्ला तहसील
शाढोरा जिला अशोकनगर म0प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

1. अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर
2. कलेक्टर अपर कलेक्टर जिला
   अशोकनगर म0प्र0
3. मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार
   तहसील शाढोरा जिला अशोकनगर म0प्र0

———अनावेदकगण

– – – – – –

श्री शंकर सिंह तोमर, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी0के0 शुक्ला, अभिभाषक, अनावेदक

– – – – – –

:: आदेश पारित ::
(दिनांक 4 अगस्त 2015)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 23–1–2006 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता महेन्द्रसिंह के आवेदन पर प्रकरण कमांक 13/अ—10/89—90 में पारित आदेश दिनांक 28—6—90 द्वारा ग्राम अमोदा की भूमि का बंटन उसके पक्ष में किया गया। प्रकरण में जांच के दौरान अनियमितता पाये जाने पर अपर कलेक्टर अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 256/91—92/निगरानी आदेश दिनांक 10—8—94 को आवंटन आदेश निरस्त किया। अपर कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जिसमें प्रकरण कमांक 10/94—95 आदेश दिनांक 23—1—06 द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखा गया। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानीकर्ता अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपर आयुक्त द्वारा उसका आवंटन निरस्त करने के पहले उसे सुनवाई का मौका नहीं दिया।

4/ अपर आयुक्त के आदेश का अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसे सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया था, परन्तु उसने अपने पक्ष समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की तथा तहसीलदार द्वारा आर.बी.सी. के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 23—1—06 के विरूद्ध लगभग 9 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी। इतने विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत करने का कोई उचित आधार नहीं बताया है। अतः निगरानी 9 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण तथा निगरानी पर ऐसा कोई कारण नहीं बतया जिसके आधार पर निगरानी ग्राह्य की जा सके, अतः निगरानी अग्राह्य कर समाप्त की जाती है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर